संख्या 36/1/1977–कार्मिक–2

(10)

प्रेषक,

डा० जी०सी०पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 6 अप्रैल, 1999

विषय–लम्बित जांच के प्रकरणों में जाँचोपरान्त दी जाने वाली सेन्सर अथवा निन्दात्मक प्रविष्टि को सरकारी कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र पंजिका में रखे जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कार्मिक अनुभाग-2

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 6 अप्रैल, 1984 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें । उक्त शासनादेश में स्पष्ट व्यवस्था होने के बाद भी शासन को बहुधा ऐसे सन्दर्भ प्राप्त होते हैं जिनमें यह जिज्ञासा की जाती है कि यदि जाँचोपरान्त सेन्सर अथवा निन्दात्मक प्रविष्टि दी जाय, तो उसे कर्मचारी/अधिकारी की किस वर्ष की चरित्र पंजिका में अंकित किया जाय।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे प्रकरणों पर जिसमें जाँचोपरान्त सेन्सर या निन्दात्मक प्रविष्टि दिये जाने का निर्णय लिया जाता है, वह प्रविष्टि संबंधित कर्मचारी/अधिकारी की चरित्र पंजिका में उसी वर्ष की प्रविष्टि में रखी जायेगी जिस वर्ष सेन्सर अथवा निन्दात्मक प्रविष्टि दिये जाने का निर्णय लिया गया है। यह उल्लेख अवश्य कर दिया जाय कि प्रकरण संबंधित के सेवाकाल के किस पद व वर्ष से संबंधित रहा है और पाई गयी त्रुटि किस प्रकृति की रही है जिससे चरित्र पंजिका का मूल्यांकन करते समय दी गयी प्रविष्टि के स्वाभाविक असर को दृष्टिगत रखा जा सके ।

कृपया शासन के उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ सभी संबंधित अधिकारियों को भी अवगत करा दें ।

आज्ञा से,
डा० जी०सी०पाण्डेय,
विशेष सचिव।

संख्या 36/1/1977(1)–कार्मिक–2, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
डा० जी०सी०पाण्डेय,
विशेष सचिव।

जी०एस०यू०पी० ए०पी० 39 सा० नियुक्ति–23-3-2010–(2634)–1000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।